तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज नन्दलाल व्यास बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 159/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.09.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नन्दलाल व्यास, आर.टी.आई. कार्यकर्ता बसन्त विहार, तीसरी ऐ रोड़, सरदारपुरा जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 0607.19 में उसके द्वारा (1) ग्राम भोपालगढ तहसील भोपालगढ के खसरा नं. 522/1 की 0110 बीघा भूमि की खातेदारी अंजना शर्मा पत्नी प्रदीप शर्मा की कृषि भूमि स्कूल प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित की गई थी, संपरिवर्तन आदेश कमांक 2995 दिनांक 18.04.11के संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	